न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/339

1. लड्डू लाल आत्मज श्री नारायण कीर निवासी रामगंज ।
2. हीरालाल आत्मज श्री नारायण कीर निवासी रामगंज ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामकान्त लोहिया, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 तहसीलदार पीपल्दा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 एवं 136 के अन्तर्गत पेश कर कथन किया कि ग्राम रामगंज तहसील पीपल्दा में ग्राम रामगंज आबादी से नहर की पटरी तक आने जाने का आम रास्ता सभी आम जन एवं कृषकों के द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है । उक्त आम रास्ता आराजी खसरा नम्बर 135, 132, 139 में से होकर गुजर रहा है । अतः उक्त खसरा नम्बर में स्थित आम रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित करें ।

3. अधीनस्थ ने अपने निर्णय दिनांक 11.04.2017 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम रामगंज की आराजी खसरा नम्बर 135, 132, 139 में से खसरा नम्बर 135 की रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 की 0.05 हैक्टर एवं खसरा नम्बर

139 की रकबा 0.04 हैक्टर भूमि आमजन /कृषकगण के उपयोग हेतु राजस्व रिकॉर्ड में गैर रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2017 से व्यथित होक अपीलान्ट अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार क एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2017 निरस्त करने का निवेदन किय

5. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मिय अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपीला को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.06.2017 पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिना 23.06.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानका के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय क पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहरा और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि – विरूद्ध रूप से तहसीलदार, पीपल्दा आवेदन को स्वीकार कर अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 132 में से रकबा 0.05 हैक्ट सार्वजनिक रास्ता निकालने का आदेश एवं उक्त भूमि को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदे पारित किया है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । धारा 25 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की ओर ध्यान नहीं दिया गया । धारा 251 ए क तहत बिना मुआवजा दिये रास्ता कायम नहीं किया जा सकता । बस्ती में जाने के लिये ए आस–पास के खातेदारों के खेतों में जाने के लिये दक्षिण दिशा से एक वैकल्पिक रास्ता मौजू है जो राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में दर्ज है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2017 निररस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायाल द्वारा निर्णय धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित किया गया है और सार्वजनिक उपयोग के लिए रास्ता कायम किया गया है । धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारि आदेश की अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमा जावे ।

9. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.04.2017 को जो आदेश पारित किया गया है उसमें धार 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत आदेश पारित किया जाना अंकित किया गया है औ सार्वजनिक उपयोग के लिए रास्ता कायम किया जाना अंकित है । धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम की अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है ।

10. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक रास्ता धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कायम नहीं किया जाता है । धारा 251 ए राजस्थान कातश्कारी अधिनियम के तहत काश्तकार को अपने खेत की आराजी पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता न होने पर उपयोग में ली जाने वाली भूमि का मुआवजा देकर रास्ता प्रदान किया जाता है । चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित किया गया है जिसकी अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

12. निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा